प्रेस नोट **04.08.2022**

थाना घोसी पुलिस, स्वाट टीम व एसओजी टीम के द्वारा लगभग 44 लाख रूपये कीमती चोरी का माल व ट्रक वाहन बरामद कर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री उमाशंकर उत्तम के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 04.03.2022 को थाना घोसी पुलिस व स्वाट/एसओजी टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 438/22 धारा 379,420,120बी भादवि0 से सम्बन्धित चोरी का माल 557 अदद गत्ता/बाक्स नायलान यार्न (कीमत लगभग 44 लाख रूपये) व ट्रक वाहन (जीजे 19 वाई 1683) बरामद कर अभियुक्तगण संतोष जगदेव गुप्ता पुत्र जगदेव गुप्ता निवासी म0न0 118 लक्ष्मीनगर थाना डिन्डौली जनपद सूरत गुजरात व चंदन गुप्ता पुत्र मुन्नी लाल निवासी भीटी चौक थाना कोतवाली जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध पूर्व में पंजीकृत अभियोग में धारा 411 भादवि0 की बढोत्तरी कर अभियुक्तगण का चालान न्यायालय किया गया।

उल्लेखनीय है कि वादी माइक्रो फिलामेंट यार्न प्रा0लि0 के सेल्समैन नरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र शारदा सिंह निवासी हनुमान नगर भीटी थाना सरायलखंसी जनपद मऊ द्वारा थाना घोसी पर सूचना दी गयी थी कि दिनांक 20.08.2022 को सूरत में स्थित कम्पनी द्वारा दिल्ली यूपी रोड लाइंस के ट्रक संख्या जीजे 19 वाई 1683 में 557 बाक्स में माल भरकर जिसकी कीमत लगभग 44 लाख रूपये है, मऊ के लिए भेजा गया था। उक्त माल वाहन ट्रक का मालिक व चालक संतोष गुप्ता पुत्र जगदेव गुप्ता है जो माल लेकर सूरत से मऊ आ रहा था जिसको दिनांक 25.08.2022 को बन्धा रोड मऊ स्थित गोदाम में पहुचना था। लेकिन उपरोक्त वाहन चालक/वाहन स्वामी द्वारा माल को गोदाम में नही पहुचाया गया तथा ना ही फोन उठा रहा है। न ही चालक का पता है नही माल का। इस सम्बन्ध में थाना घोसी पर उपरोक्त मु0अ0सं0 438/22 धारा 379,420,120बी भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कर वाहन चालक/माल की तलाश की जा रही थी जिसको आज गिरफ्तार कर माल को बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. संतोष जगदेव गुप्ता पुत्र जगदेव गुप्ता निवासी म0न0 118 लक्ष्मीनगर थाना डिन्डौली जनपद सूरत गुजरात।
2. चंदन गुप्ता पुत्र मुन्नी लाल निवासी भीटी चौक थाना कोतवाली जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. चोरी का माल 557 अदद गत्ता/बाक्स नायलान यार्न (कीमत लगभग 44 लाख रूपये)।
2. ट्रक वाहन (जीजे 19 वाई 1683)।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक थाना घोसी कृष्ण कुमार गुप्ता, नि0 राजेश यादव, उ0नि0 अमित मिश्रा एसओजी/स्वाट टीम प्रभारी मय टीम, का0 विवेक सिंह, का0 संजय सिंह, का0 बृजेश मौर्य सर्विलांस टीम।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा चोरी के 12 अदद मोबाइल फोन व एक अवैध तमंचा व कारतूस के साथ कुल 03 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 03/04.09.2022 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग

के दौरान ख्वाजाजहांपुर मछली मण्डी के पास से अरविन्द राजभर पुत्र प्रेमचन्द्र राजभर, मनीष राजभर पुत्र लालता राजभर निवासीगण चन्द्रभानपुर थाना कोतवाली जनपद मऊ के कब्जे से चोरी के 10 अदद मोबाइलफोन बरामद गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उक्त अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हम लोग जगह जगह से मोबाइल फोन चुराते है जिसमें से एक फोन थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 418/22 धारा 379 भादवि0 से सम्बन्धित है साथ ही साथ रेलवे पार्सल घर मुंशीपुरा के पास से विशाल कुमार भाष्कर पुत्र स्व0 रामानन्द निवासी इकबालपुर थाना हलधरपुर जनपद मऊ के कब्जे से एक अवैध तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस 303 बोर व चोरी की दो अदद मोबाइल फोन बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर क्रमश मु0अ0सं0 421/22 धारा 411,413,414 भादवि0 व मु0अ0सं0 422/22 धारा 411,413,414 भादवि0 व बरामद अवैध तमंचा व कारतूस के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 423/22 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 28 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 04.09.2022 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा हरिपाल विश्वकर्मा, संदीप, अमरनाथ निवासीगण इस्माइलनगर, अजय कुमार राय निवासीा कनकपुर थाना रानीपुर, नित्यानन्द, रोशन निवासीगण कमालचक थाना चिरैयाकोट, थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा अरविन्द कुमार, वीरेन्द्र कुमार निवासीगण बसारथपुर थाना कोपागंज, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा राजेन्द्र, अमरचन्द्र निवासीगण सरहुआ मेहुदपार, आकाश निवासी पाउस थाना दोहरीघाट, थाना घोसी पुलिस द्वारा प्रेमचन्द्र, अवनिश निवासी आदमपुर थाना घोसी, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा मोनू कुमार निवासी अइलख थाना हलधरपुर, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा लालबचन, कमलेश, राजेश निवासीगण भदसामानोपुर, प्रदीप निवासी जहनियापुर, अंशु निवासी कुर्थिजाफरपुर थाना कोपागंज, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा संदीप निवासी गालीबपुर, सनोज निवासी खालीसपुर थाना सरायलखंसी, थाना रामपुर पुलिस द्वारा सुनिल, सर्वेश, हरिनारायण, हरिप्रसाद निवासीगण गोपालपुर, रामजी निवासी महमुदसराय, सत्यदेव निवासी लखनौर, सरफूद्दीन निवासी शाह कुण्डैल थाना उभाव जनपद बलिया को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीस गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

एच्छिक ब्यूरो के प्रयास से चार दंपति साथ–साथ रहने को हुए राजी–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में चलने वाले ऐच्छिक ब्यूरो की बैठक आज दिनांक 04.09.2022 को पुलिस लाईन में सम्पन्न हुयी जिसमें कुल 52 मामले पेश हुए जिनमें 13 मामलों का निस्तारण हुआ तथा अन्य मामलों में बैठक की अगली तारीख 18.09.2022 दी गयी। इस दौरान एच्छिक ब्यूरो के सदस्यों के प्रयास से महाप्रसाद/अल्पना, अनिता/अनिल, अर्चना/अजय और संजना/रामऔतार ने आपसी मतभेद भुलाकर हंसी–खुशी साथ–साथ रहने को राजी हो गये। आपस मे समझौता कर शिवांगी और अविनाश तथा राजेश के इच्छानुसार फाइल बन्द की गयी। हमीदा अपने पति से समझौता नही करना चाहती तलाक चाहती है इसलिए कोर्ट में मामला चल जाने से फाइल बन्द कर दी गयी। 07 फाइले कोर्ट में चले जाने या पक्षकारों के उदासीनता या इच्छा से बन्द कर दी गयी। बैठक की अगली तारीख 18.09.2022 दी गयी। बैठक में मुख्य भूमिका में एस आई आत्मा सिंह, अर्चना उपाध्याय, सर्वेश दूबे, महिला आरक्षी पुष्पा गुप्ता, प्रीति दूबे व भारी संख्या में पक्षकार उपस्थित रहे।